न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा।

दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–02/2023

श्री/श्रीमती–बिनोद कुमार यादव..........अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार............................प्रतिवादी।

आदेश

यह अपील वाद श्री/श्रीमती बिनोद कुमार यादव पिता–स्व0 रामेश्वर यादव, साकिन–जरगा, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा के नामान्तरण वाद संख्या–3322/2023-24 दिनांक–23-11-2023 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उक्त वाद में अपीलार्थी को समस्त कागजात समर्पित करने एवं उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दरम्यान उभय पक्षों के द्वारा बताया गया कि उक्त नामान्तरण में लाटो यादव के आपति दिया गया था। साथ ही हमदोनों में आपसी सहमति हो गई है और आपतिकर्त्ता को अब कोई आपति नहीं है, जिस हेतु आपतिकर्त्ता द्वारा एक सहमति शपथ–पत्र संख्या–16 दिनांक–08.03.2025 दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है की मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–251, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा के अन्तर्गत खाता नं0–116, प्लॉट नं0–18, रकवा–23½ डी0 जमीन को वजरिये केवाला सं0–4823 दिनांक–13.09.2023 ई0 को बिक्री किया गया था, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0–3322/2023–24 का जमाबन्दी में मैं अपना आपति को वापस लेता हूँ तथा उपरोक्त दाखिल–खारिज वाद को यथावत रखे जाने पर मुझे कोई आपति नहीं है तथा अपीलार्थी बिनोद कुमार यादव के पक्ष में उक्त अपील वाद को स्वीकृत किये जाने पर मुझे कोई आपति नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा को निर्देश दिया जाता है की केवाला की प्रति की मांग, खतियानी प्लॉट एवं दखल–कब्जा एवं राजस्व कागजातों का अवलोकन करते हुए उक्त मामले की पुर्नसमीक्षा कर नामान्तरण वाद संख्या–3322/2023-24 दिनांक–23-11-2023 में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कोडरमा को अनुपालनार्थ प्रेषित। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

(हस्ताक्षर) 27/2/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.09.08 17:45:26 +05:30
Location: 10.93.45.135